जनसत्ता पी-10 25-4-16

तीन लाख से अधिक के फसल कर्ज पर ब्याज सबसिडी बंद हो : समिति

जनसत्ता P-10 25-4-16

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (भाषा)। कृषि क्षेत्र के लिए नौ लाख करोड़ रुपए की कर्ज योजना के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन पर सुझाव देने के लिए गठित सरकारी समिति ने सुझाव दिया है कि तीन लाख रुपए से अधिक के अल्पकालिक कर्ज पर ब्याज छूट नहीं दी जानी चाहिए। यह सबसिडी पूरी भुगतान अवधि के लिए दी जानी चाहिए न कि सिर्फ एक साल के लिए।

कृषि मंत्रालय ने नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन वीसी सारंगी की अध्यक्षता में फसल कर्ज जरूरतमंद छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचाने व ब्याज छूट योजना का बेहतरीन उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नौ सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। ब्याज छूट की योजना के तहत किसानों को फिलहाल एक साल तक के लिए तीन लाख रुपए तक का अल्पकालिक कर्ज सात फीसद के ब्याज पर मिलता है। जो किसान इसे समय पर चुका देते हैं उन्हें यह कर्ज चार फीसद ब्याज पर मिलता है। सरकार ने इस साल के बजट में कृषि कर्ज लक्ष्य बढ़ाकर नौ लाख करोड़ रुपए कर दिया और चालू वित्त वर्ष में ब्याज सबसिडी के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया है। समिति ने सौंपी रपट में कहा कि 2006-07 में ब्याज सबसिडी योजना पेश करने के बाद कृषि कर्ज प्रवाह बढ़ा है। समिति ने इस कार्यक्रम को लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। इस रपट के आधार पर मंत्रालय कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। सारंगी समिति ने अपनी प्रमुख सिफारिशों में कहा कि ब्याज छूट योजना तीन लाख रुपए प्रति किसान की अल्पकालिक फसल कर्ज आबंटन सीमा के साथ बरकरार रखनी चाहिए। यह सुविधा उन स्थितियों में उपलब्ध नहीं हो सकती जबकि फसल कर्ज आबंटन तीन लाख रुपए से अधिक हो। यानी अगर आबंटित कर्ज की राशि तीन लाख रुपए से अधिक है तो इस योजना के तहत किसानों को सिर्फ तीन लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज छूट मिलेगी। सुझाव दिया गया है कि उन किसानों को ब्याज सबसिडी न दी जाए जो तीन लाख रुपए से अधिक का कर्ज लेते हैं। समिति ने सुझाव दिया कि तय तारीख तक 12 महीने के बाद भी फसल कर्ज पर ब्याज सबसिडी मुहैया कराई जाए ताकि किसानों को कर्ज चुकाने के लिए साहूकारों से कर्ज न लेना पड़े। क्योंकि गन्ना और केले जैसी लंबी अवधि वाली फसल उगाने वाले किसानों को साल भर के भीतर कर्ज भुगतान में मुश्किल होती है। ये सुझाव ऐसे समय आए हैं जब किसान संकट का सामना कर रहे हैं।

25/4/16

प्रभारी, समाचार पत्र यूनिट